

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर

पत्रांक 897 /14-1 दिनांक कानपुर, 14 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:- कानपुर में उ०प्र० जल निगम द्वारा विधुना कैनल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन०एच०-86 के किनारे किमी० 20.800 से 61.900 तक पाइप लाइन डालने हेतु 14.385 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 ब्रिकगार्ड पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ- आपके कार्यालय का पत्रांक 559 / कानपुर / 34211 / 2018 दिनांक 11.09.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर नगर ने अपने पत्रांक 868 / 14-1 दिनांक 14.09.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम गढोलामऊ की भूमि का उप प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी घाटमपुर द्वारा पुनः मौके पर जाकर चिन्हित क्षेत्र का निरीक्षण कराया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में बरसात होने के कारण स्थल हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि वास्तव में यह अवनत वन क्षेत्र की श्रेणी में ही है, कापडेन्सिटी बहुत कम है। निरीक्षण के दौरान चिन्हित क्षेत्रों के लिए गये फोटोग्राफ्स की चार-चार प्रतियां स्थलवार हस्ताक्षरित कर तथा प्रस्ताव की तीन प्रतियां मूल में प्रेषित की है, जिसे संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ओ०पी० सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

नगर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई), उ०प्र० जल निगम घाटमपुर कानपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ०पी० सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर